



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ09002

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura Industrial Area,
अजमेर -305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4136/MCDR-MiFL/ST/6/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 14.12.2023

प्रेषित: एजेंट, कारुन्दा चूना पत्थर खान,
मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,
(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),
कैलाश नगर- 312617, निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Karunda Limestone Mine** (M.L. No. 3/2003, Lease area 240.86 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 20.10.2023 by the undersigned in presence of Sh. Peeyush Kumar Ameta, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 28.11.2018): - 1) During the year 2022-23, Interburden (IB) dump towards western side of North Pit was proposed between grid 460247E to 460368E & 2731900N to 2732150N but actual IB dumping has been carried out between grid 460276E to 460339E & 2732025N to 2732404N. 2) During the year 2022-23, Subgrade Stacking towards western side of North Pit was proposed between grid 460254E to 460351E & 2732151N to 2732530N but actual Subgrade stacking has been carried out between grid 460301E to 460390E & 2731904N to 2732114N. 3) During the year 2022-23, Subgrade Stacking towards Southern side of South Pit was proposed between grid 460657E to 461078E & 2731120N to 2731330N but actual Subgrade stacking has been carried out between grid 460655E to 461125E & 2731121N to 2731378N.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं ।
- आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा, जिला- चित्तौड़गढ़ ।
- रक्षित पत्रावली

I/21851/2023

I/21851/2023